

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1457)/2025/64

दिनांक : 13/02/2025

आदेश

निम्नलिखित प्रयोगशाला सहायक, जिनका राज्य सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने के कारण इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से नाम विलोपित किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	नाम विलोपित तिथि
1.	स्व० श्री विजेन्द्र कुमार लैब टैक्नीशियन	राजकीय चिकित्सालय गंगापोल, जयपुर।	05.07.1995	07.02.2018	20.11.2024

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 13/02/2025

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1457)/2025/64

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. संबंधित कर्मचारी के आश्रित परिवार को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
6. डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के  
विरुद्ध यदि  
आडिट पेरा या  
अन्य कोई वसूली  
बकाया हो तो  
उसकी वसूली  
तत्काल कर  
निदेशालय को  
अवगत करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation : Director  
Date: 2025.02.13 06:28:45 IST  
Reason: Approved

